कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय) : दिल्ली

परिपत्र

माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय), दिल्ली के निदेशानुसार आप सभी को सूचित किया जाता है कि कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग (उर्दू सैल), दिल्ली सरकार सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए उर्दू वर्कशाप/रिफ्रेशर कोर्स एवम् उर्दू निबंध व सुलेख प्रतियोगिताओं का आयोजन कर रहा है। विस्तृत जानकारी हेतु कला संस्कृति एवं भाषा विभाग (उर्दू सैल), दिल्ली सरकार से प्राप्त पत्र एवं अनुलग्नकों की प्रतियाँ इस परिपत्र के साथ संलग्न है। जो भी कर्मचारी इनमें हिस्सा लेना चाहते हैं वे अपना नाम दिनांक 30.01.2016 तक निर्धारित प्रपत्र पर राजभाषा अनुभाग, कक्ष संख्या 237, तीस हजारी न्यायालय परिसर को भेजें।

2512

अरुण आर्य

(अरुण कुमार आर्य)
प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय,
पटियाला हाउस न्यायालय परिसर, नई दिल्ली/
अध्यक्ष, केन्द्रीय हिंदी कार्यान्वयन समिति,
जिला न्यायालय, दिल्ली

3928-4078
संख्या...../हिंदी/237/2016
दिल्ली, दिनांक 19/01/2016

परिपत्र की प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित की जाती है:–

1. समस्त माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पूर्व, उत्तर–पूर्व, शाहदरा, पश्चिम, उत्तर, उत्तर–पश्चिम, नई दिल्ली, दक्षिण, दक्षिण–पूर्व, दक्षिण–पश्चिम, दिल्ली/नई दिल्ली **(इस अनुरोध सहित कि अपने संबद्ध जिले में संलग्न पत्र एवं अनुलग्नकों का प्रसारण करवाएं तथा इच्छुक कर्मचारियों के नाम राजभाषा हिन्दी अनुभाग, तीस हजारी न्यायालय दिल्ली को भिजवाने की कृपा करें)।**
2. समस्त माननीय न्यायिक अधिकारी, केन्द्रीय जिला, तीस हजारी न्यायालय परिसर, दिल्ली।
3. समस्त वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक), प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक) व अनुभाग प्रमुख, केन्द्रीय जिला, तीस हजारी न्यायालय परिसर, दिल्ली।
4. हिंदी अधिकारी, कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, सातवां तल, सी–विंग, दिल्ली सचिवालय, दिल्ली सरकार, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट दिल्ली।
5. वेबसाइट समिति, अंग्रेजी/हिंदी, जिला न्यायालय दिल्ली।

कृपया ध्यान दें : आप सभी से अनुरोध है कि इस परिपत्र के बारे में अपने अधीनस्थ सभी कर्मचारियों को सूचित करें तथा इच्छुक कर्मचारियों के नाम निर्धारित प्रपत्र पर तय तारीख तक उपरोक्त वर्णित पते पर भेजें। नाम भेजते हुए कृपया यह भी सुनिश्चित करें कि कर्मचारी को उर्दू भाषा का मौलिक ज्ञान/जानकारी अवश्य हो तथा उर्दू वर्कशाप/रिफ्रेशर कोर्स एवम् उर्दू निबंध व सुलेख प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने वाले कर्मचारियों की अनुपस्थिति से कार्यालय कार्य बाधित न हो। चयनित कर्मचारियों के नाम 06 फरवरी 2016 को जिला न्यायालय, दिल्ली की वेबसाइट पर प्रदर्शित किए जाएंगे।

19.01.16

(मुकेश कुमार गुप्ता)
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दिल्ली/
वरिष्ठ सदस्य
केन्द्रीय हिंदी कार्यान्वयन समिति
जिला न्यायालय दिल्ली।

OFFICE OF THE DISTRICT & SESSIONS JUDGE NORTH DISTRICT:
ROHINI COURT COMPLEX DELHI

No. 2399-2443 Admn/Cir./North/RC/2016 Dated : 25.01.2016

Copy forwarded for information & necessary action to:-

1. All the Judicial Officers, North District, Rohini Court Complex, Delhi with the request to circulate the same amongst the staff working under their kind control.
2. All the AOJs/Branch Incharges, North District, Rohini Court, Delhi with direction to circulate the same to the staff working under their kind control.
3. PS to District & Sessions Judge, North District, Rohini Court Complex, Delhi.

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग (उर्दू सैल),
सी– विंग, सातवां तल, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली–2.

सं0फा0 2(05)/2015–16/भाषा/ 7296–7307 दिनांक: 08/12/22 DEC 2015

सेवा में,

1. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
2. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष समस्त अधीनस्थ, स्वायत्त संस्थाएं, स्थानीय निकाय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र।
3. ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश, तीस हज़ारी, दिल्ली–54
4. आयुक्त, पूर्वी/उत्तरी/दक्षिणी दिल्ली नगर निगम दिल्ली।
5. अतिरिक्त उपायुक्त(भाषा), राजभाषा अनुभाग, सिविक सैंटर, मिंटो रोड, नई दिल्ली।
6. विशेष कार्याधिकारी, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद्, पालिका केन्द्र, नई दिल्ली।
7. महाप्रबंधक, दिल्ली परिवहन निगम (मुख्यालय), इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली।
8. उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण, विकास सदन, आई0एन0ए0, नई दिल्ली।
9. विभागाध्यक्ष, दिल्ली ट्रांस्को लिमिटेड, शक्ति सदन, कोटला रोड, नई दिल्ली।
10. निदेशक (प्र0 एवं का0), दिल्ली जल बोर्ड, झंडेवालान, नई दिल्ली।
11. उप–सचिव, दिल्ली विधानसभा सचिवालय, पुराना सचिवालय, दिल्ली।
12. प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, 12वां तल, एम0एस0ओ0 बिल्डिंग, आई0पी0 इस्टेट, नई दिल्ली–2
13. संयुक्त निदेशक (प्रशासन) दिल्ली पुलिस, मुख्यालय, आई0पी0 इस्टेट, नई दिल्ली–2
14. प्रधानचार्य, तिब्बिया कालेज, अजमल खां रोड, नई दिल्ली–5
15. सी0ई0ओ0, दिल्ली वक्फ बोर्ड, दरियागंज, नई दिल्ली–2
16. सी0ई0ओ0, दिल्ली स्टेट हज कमेटी, आसफ अली रोड, नई दिल्ली–2

विषयः **सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए उर्दू वर्कशाप/रिफ्रेशर कोर्स एवं उर्दू निबंध व सुलेख प्रतियोगिता का आयोजन।**

महोदय,

दिल्ली सरकार की भाषा नीति और "दिल्ली राजभाषा अधिनियम 2000" के संदर्भ में उर्दू भाषा के प्रोत्साहन, प्रचार–प्रसार और सरकारी काम–काज में उर्दू के एक अनिवार्य स्तर तक प्रयोग की दिशा में अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रेरित/प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से भाषा विभाग (उर्दू सैल) की उर्दू प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है:–

क्र0 स0	कार्यक्रम
1	उर्दू वर्कशाप/रिफ्रेशर कोर्स
2	उर्दू निबंध प्रतियोगिता
3	उर्दू सुलेख प्रतियोगिता

चार दिवसीय उर्दू वर्कशाप/रिफ्रेशर कोर्सः उर्दू वर्कशाप/रिफ्रेशर कोर्स में कोई वर्ग विभाजन नही है। इस में सभी अधिकारी/कर्मचारी भाग ले सकते हैं। इस में भाग लेने वाले अधिकरियों/कर्मचारियों को पुस्तकें/शब्द कोश, कलम, नोट बुक एवं प्रमाण पत्र भी दिये जाएंगे।

उर्दू सुलेख/उर्दू निबंध प्रतियोगिताः

उर्दू सुलेख प्रतियोगिता

वर्ग 'क' भाषा विभाग की उर्दू कक्षा या समकक्ष पास या सीनियर सैकेंडरी तक उर्दू भाषा की योग्यता रखने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये।

वर्ग 'ख' सीनियर सैकेंडरी से ऊपर तक उर्दू भाषा की योग्यता रखने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये।

वर्ग 'ग' उर्दू जानने वाले सामान्य विषयों के अध्यापकों हेतु। (उर्दू भाषा एवं उर्दू माध्यम के अध्यापकों को छोड़कर)

वर्ग 'घ' उर्दू माध्यम एवं उर्दू भाषा के अध्यापकों के लिये।

उर्दू निबंध प्रतियोगिता

वर्ग 'क' भाषा विभाग की उर्दू कक्षा में पास या समकक्ष अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये।

वर्ग 'ख' सीनियर सैकेंडरी स्तर तक उर्दू भाषा की योग्यता रखने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए।

वर्ग 'ग' सीनियर सैकेंडरी स्तर से ऊपर (स्नातक एवं स्नातकोत्तर) तक उर्दू भाषा की योग्यता रखने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए।

वर्ग 'घ' उर्दू जानने वाले सामान्य विषयों के अध्यापकों हेतु । (उर्दू भाषा एवं उर्दू माध्यम के अध्यापकों को छोड़कर)

वर्ग 'ङ' उर्दू माध्यम एवं उर्दू भाषा के अध्यापकों के लिये।

DPS/HSD 21/12/15

Chairman (Hindi Committee)

प्रतियोगिता के प्रत्येक वर्ग में सफलता प्राप्त करने वाले प्रतियोगियों को नियमानुसार 4000/– रू 3000/–रू 2000/–रू एवं 800/–रू नकद प्रथम, द्वितीय,तृतीय, एवं पांच प्रोत्साहन पुरस्कार, मोमेन्टो, पुस्तकें एवं प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएगें।

आपसे अनुरोध है कि अपने विभाग/कार्यालय एवं इसके अधीन समस्त निकायों/कार्यालयों के अधिकारियों/कर्मचारियों को उर्दू रिफ्रेशर कोर्स/उर्दू प्रतियोगिताओं के बारे में अवगत करवाने का कष्ट करें एवं इच्छुक अधिकरियों/कर्मचारियों के नाम संलग्न प्रपत्र में भरकर **शीघ्र ही** इस विभाग को भिजवाने का कष्ट करें। उक्त कार्यक्रम की तिथि समय एवं स्थान की जानकारी बाद में पत्र/दूरभाष द्वारा दी जाएगी। अन्य जानकारी इस विभाग की दूरभाषा संख्या **23392348** एवं वैबसाइट **http://delhi.gov.in/wps/wcm/connect/doit_art/Art+Culture+and+Language/Home/Centralized+Circular से भी प्राप्त की जा सकती है।**

भवदीय

7/12/15

(सुरेश कुमार शर्मा)
हिन्दी अधिकारी

संo फा0 2(05)/2015–16/भाषा/ 7308-7312 दिनांक: 08/12/2015

प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु अग्रसारित:–

1. सचिव, उप–राज्यपाल, दिल्ली।
2. निजि सचिव, मुख्य मंत्री, दिल्ली सरकार।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, दिल्ली सरकार, दिल्ली।
4. निजी सचिव, (कला, संस्कृति एवं भाषा), सचिवालय, नई दिल्ली।
5. दिल्ली सचिवालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के समस्त विभागाध्यक्ष।

7/12/15

(सुरेश कुमार शर्मा)
हिन्दी अधिकारी

उर्दू प्रतियोगिता की नियमावली

1. इन प्रतियोगिताओं का नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की (i) उर्दू सुलेख प्रतियोगिता (ii)उर्दू निबंध प्रतियोगिता है। इन प्रतियोगिताओं का आयोजन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की भाषा नीति के अन्तर्गत उर्दू भाषा के प्रोत्साहन और प्रचार–प्रसार के अतिरिक्त दिल्ली सरकार एवं इसके अधीनस्थ स्थानीय निकायों स्वायत्त संस्थाओं के अधिकारियों/कर्मचारियों में उर्दू के प्रति रूचि पैदा करना और उन्हें विभागीय काम– काज में एक अनिवार्य स्तर तक उर्दू के प्रयोग, की दिशा में प्रेरित करना है।

2. इन प्रतियोगिताओं में दिल्ली सरकार के समस्त विभागों/कार्यालयों के अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद, दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली परिवहन निगम, दिल्ली पुलिस,
और दिल्ली जल बोर्ड इत्यादि के अधिकारी/कर्मचारी भी भाग ले सकते है।

3. प्रतियोगी उर्दू की किसी एक प्रतियोगिता में अथवा सभी प्रतियोगिताओं में भाग ले सकते हैं। इन में भाग लेने का कोई शुल्क नहीं है।

4. इन प्रतियोगिताओं में भाग लेने के इच्छुक अधिकारियों/कर्मचारियों को अपने नाम उर्दू अधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, सी–विंग, सातवां तल, दिल्ली सचिवालय, दिल्ली के पास उचित माध्यम द्वारा भेजने होंगे।

5. **उर्दू सुलेख प्रतियोगिता** के कुल अंक 50 होंगे, इसका समय 20 मिनट होगा।

उर्दू सुलेख प्रतियोगिता

वर्ग	'क'	भाषा विभाग की उर्दू कक्षा या समकक्ष पास या सीनियर सैकेंडरी तक उर्दू भाषा की योग्यता रखने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये।
वर्ग	'ख'	सीनियर सैकेंडरी से ऊपर तक उर्दू भाषा की योग्यता रखने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये।
वर्ग	'ग'	उर्दू जानने वाले सामान्य विषयों के अध्यापकों हेतु।(उर्दू भाषा एवं उर्दू माध्यम के अध्यापकों को छोड़कर)
वर्ग	'घ'	उर्दू माध्यम एवं उर्दू भाषा के अध्यापकों के लिये।

उर्दू निबंध प्रतियोगिता

वर्ग	'क'	भाषा विभाग की उर्दू कक्षा में पास या समकक्ष अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये।
वर्ग	'ख'	सीनियर सैकेंडरी स्तर तक उर्दू भाषा की योग्यता रखने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए।
वर्ग	'ग'	सीनियर सैकेंडरी स्तर से ऊपर (स्नातक एवं स्नातक उत्तर) तक उर्दू भाषा की योग्यता रखने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के लि
वर्ग	'घ'	उर्दू जानने वाले सामान्य विषयों के अध्यापकों हेतु ।(उर्दू भाषा एवं उर्दू माध्यम के अध्यापकों को छोड़कर)
वर्ग	'ङ'	उर्दू माध्यम एवं उर्दू भाषा के अध्यापकों के लिये।

6. प्रत्येक प्रतियोगिता के प्रत्येक वर्ग में नकद पुरस्कारों का विवरण निम्नलिखित है:–

प्रथम पुरस्कार	(एक)	4000/–रूपये
द्वितीय पुरस्कार	(एक)	3000/–रूपये
तृतीय पुरस्कार	(एक)	2000/–रूपये
प्रोत्साहन पुरस्कार	(पाचं)(प्रत्येक वर्ग)	800/–रूपये

7. सचिव (भाषा), दिल्ली सरकार को इन प्रतियोगिताओं की नियमावली के किसी उपबंध में और पुरस्कारों की संख्या, राशि, स्थान और तिथि व समय आदि में किसी भी प्रकार का समुचित परिवर्तन करने का अधिकार है।

8. इन प्रतियोगिताओं से संबंधित किसी भी विवाद, शिकायत या उसके उपबंधों के निर्वहन आदि के बारे में, सचिव(भाषा) दिल्ली सरकार का निर्णय अन्तिम, बाध्यकर और सर्वमान्य होगा।

9. इन प्रतियोगिताओं में दिल्ली सरकार के भाषा विभाग, उर्दू सैल और उर्दू अकादमी में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी भाग लेने के पात्र नहीं होंगे। इसके अतिरिक्त किसी अन्य विभाग/कार्यालय में कार्यरत उर्दू भाषा से संबंधित अधिकारी/कर्मचारी भी भाग लेने के पात्र नहीं होंगे।

10. नई प्रतियोगिताओं के प्रत्येक वर्ग में पिछले वर्ष प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रतियोगी इस वर्ष की उन प्रतियोगिताओं में भाग लेने का पात्र नहीं होगा। यदि वह प्रतियोगिता में भाग लेता है और पुरस्कार हेतु योग्य पाया जाता है तो उसे पुरस्कार में केवल सर्टिफिकेट ही जारी किया जाएगा। जो प्रतियोगी पिछले वर्ष की प्रतियोगिता में द्वितीय या तृतीय पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं वह इस वर्ष की प्रतियोगिता में केवल उससे उपर का ही पुरस्कार अर्थात् प्रथम या द्वितीय पुरस्कार के लिए ही पात्र होंगें। जो प्रतियोगी पिछले वर्ष प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं वह इस वर्ष की प्रतियोगिता में तृतीय या उससे उपर कॉ ही पुरस्कार प्राप्त करने के पात्र होंगें या लगातार केवल दो वर्ष तक ही प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त कर सकेंगे।

11. सुलेख प्रतियोगिता में प्रोत्साहन पुरस्कार के लिये कम से कम 15 और निबंध में कम से कम 30 अंक प्राप्त करने अनिवार्य होंगे।

12. इन प्रतियोगिताओं में सफल प्रतियोगियों को प्रशस्ति–पत्र, नियमानुसर स्वीकार्य नकद पुरस्कार राशि, मोमेंटो/मैडल से सम्मानित किया जाएगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग (उर्दू सैल)

सी–विंग, सातवा तल, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली–2

वर्कशाप/रिफ्रेशर कोर्स एवं उर्दू निबंध/सुलेख प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिये प्रपत्र

1. अधिकारी/कर्मचारी का नाम :

2. पिता/पति का नाम :

3. पदनाम :

4. उर्दू भाषा की शैक्षिक योग्यता :

5. विभाग/कार्यालय :

(पूरा पता, ईमैल एवं दूरभाष संख्या सहित)

निवास का पूरा पता दूरभाष स0 सहित:.....

.....

6. प्रतियोगिता का नाम तथा वर्ग :

जिसमें भाग लेना चाहते हैं।

(निम्न विवरण के अनुसार टिक (✓) करें।)

उर्दू सुलेख प्रतियोगिता

वर्ग 'क' भाषा विभाग की उर्दू कक्षा या समकक्ष पास या सीनियर सैकेंडरी तक उर्दू भाषा की योग्यता रखने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये।

वर्ग 'ख' सीनियर सैकेंडरी से ऊपर तक उर्दू भाषा की योग्यता रखने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये।

वर्ग 'ग' उर्दू जानने वाले सामान्य विषयों के अध्यापकों हेतु।(उर्दू भाषा एवं उर्दू माध्यम के अध्यापकों को छोड़कर)

वर्ग 'घ' उर्दू माध्यम एवं उर्दू भाषा के अध्यापकों के लिये।

उर्दू निबंध प्रतियोगिता

वर्ग 'क' भाषा विभाग की उर्दू कक्षा में पास या समकक्ष अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये।

वर्ग 'ख' सीनियर सैकेंडरी स्तर तक उर्दू भाषा की योग्यता रखने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए।

वर्ग 'ग' सीनियर सैकेंडरी स्तर से ऊपर (स्नातक एवं स्नातक उत्तर) तक उर्दू भाषा की योग्यता रखने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए।

वर्ग 'घ' उर्दू जानने वाले सामान्य विषयों के अध्यापकों हेतु ।(उर्दू भाषा एवं उर्दू माध्यम के अध्यापकों को छोड़कर)

वर्ग 'ङ' उर्दू माध्यम एवं उर्दू भाषा के अध्यापकों के लिये।

प्रेषण अधिकारी के
हस्ताक्षर एवं मोहर